IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

Status Report

On behalf of Uttarakhand Pollution Control Board

In compliance of order dated 03.07.2024

in

Original Application No. 225 of 2024

Khildev Singh Rawat Applicant

Versus

State of Uttarakhand Respondent

S. No.	Particulars	Pg. No.
1.	Index	1 - 1
2.	Status Report	2 - 3
3.	**Annexure No. 1:** Copy of minutes of public hearing proceeding conducted on 08.08.2024.	4 - 13

Dated: 6 September, 2024

Filed by:

Dr. Rajendra Singh
Scientific Officer
Uttarakhand Pollution Control Board,
Dehradun

Dr. Rajendra S. Kathait
Scientific Officer
Uttarakhand Pollution Control Board

Status Report

On behalf of Uttarakhand Pollution Control Board

In the matter of Original Application No. 225 of 2024

titled as

Khildev Singh Rawat

Versus

State of Uttarakhand

1. That the matter of establishment of Solid Waste Processing and Disposal facility of Nagar Palika Parishad, Karanprayag, District Chamoli and issues raised by the applicant about the said proposed facility is under consideration before the Hon'ble National New Delhi.

2. That the detailed inspection report of the Joint Committee constituted by the Hon'ble Tribunal in the matter has already been submitted by the Uttarakhand Pollution Control Board i.e. Respondent No. 2 before the Hon'ble Tribunal.

3. That it is pertinent to mention that establishment of Solid Waste Processing and Disposal facility is covered under the Schedule of the Environment Impact Assessment Notification, 2006 as amended from time to time and therefore, the respondent Board has received request for conducting public hearing for prior environmental clearance for the said activities.

4. That as per provisions of EIA Notification, 2006 as amended, notices for the public hearing were published in daily newspapers

on 04.07.2024. Public hearing was conducted by UKPCB on 08.08.2024 at Village Dimmar, District Chamoli which was chaired by Additional District Magistrate, Chamoli. The issues raised during the process of public consultation have been recorded and minutized by UKPCB. The Minutes of Public Hearing proceedings is enclosed herewith as **Annexure No. 1**. However, the complete set of minutes of public hearing along with attendance sheet, photographs, videography, representation(s) submitted by public etc. will be forwarded to State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Uttarakhand for further necessary action in the matter of prior environmental clearance.

*****

The report is being submitted for the perusal of the Hon'ble NGT.

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
ई–115, नेहरू कॉलोनी, देहरादून–248001

UTTARAKHAND
UEPPCB

REGIONAL OFFICE
Uttarakhand Pollution Control Board
E-115, Nehru Colony, Dehradun-248001

पत्रांक सं0–यूकेपीसीबी / आरओडी / जनसुनवाई / एन0ओ0सी0 / सी0एच0–106 / 2024–25 / 1874-974 दिनांकः 05/09/24

सेवा में,

सदस्य सचिव महोदय,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
गौरा देवी पर्यावरण भवन,
46बी., आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड़,
देहरादून।

Uttarakhand Pollution Control Board
Diary No. 5233
Date 06/09/24

विषयः **M/s Nagar Palika Parishad, Karaprayag द्वारा ग्राम डिम्मर, कर्णप्रयाग, जिला चमोली में Sanitary Landfill के लिये पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।**

संदर्भ–बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक संख्या–UKPCB/HO/NOC/7949/2024/534 Date 15-07-2024

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक दिनांक 05.08.2024 समय प्रातः 11:00 बजे ग्राम डिम्मर, कर्णप्रयाग, जिला चमोली में आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त एवं लोक सुनवाई के दौरान की गयी वीडियो रिकार्डिंग, फोटोग्राफी एवं उपस्थिति पंजिका की तीन–तीन प्रति संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक–

1. फोटो व पेन ड्राइव
2. लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।
3. उपस्थिति पंजिका की प्रति।
4. प्रत्यावेदन।

भवदीय

(डा0 आर0के0 चतुर्वेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

M/s Nagar Palika Parishad, Karanprayag द्वारा ग्राम डिम्मर, जिला चमोली गढ़वाल में सैनेटरी लैंडफिल की पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 05.08.2024, समय 11.00 बजे, का कार्यवृत्त।

M/s Nagar Palika Parishad, Karanprayag द्वारा सैनेटरी लैंडफिल परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को जन सुनवाई हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 2006 के अन्तर्गत गतिविधि सामन्य नगर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधा (CMSWMF) 7(I) श्रेणी (B) के अन्तर्गत आच्छादित है। इस हेतु लोक सुनवाई की तिथि से नियमानुसार 30 दिन पूर्व दैनिक समाचार पत्र Amar Ujala (U.K. Edition) एवं Times of India (Delhi Edition) में दिनांक 04.07.2024 के अंक में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के आयोजन की सूचना प्रकाशित की गयी थी। **(संलग्नक–1)**

जिलाधिकारी महोदय, गढ़वाल द्वारा नामित श्री विवेक प्रकाश, अपर जिला अधिकारी, चमोली की अध्यक्षता में लोक सुनवाई का आयोजन दिनांक 05.08.2024 को समय 11.00 बजे, स्थल ग्राम डिम्मर, कर्णप्रयाग, जिला चमोली गढ़वाल में किया गया। लोक सुनवाई की उपस्थिति संलग्नकानुसार रही। **(संलग्नक–2)** इस अनुक्रम में परामर्शी संस्था M/s Open Arch Design and Enviro Solution LLP द्वारा बनायी गई ई0आई0ए0 रिपोर्ट पर परियोजना प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसका सांराश निम्नानुसार है–

1. नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग में 2024 में ठोस अपशिष्ट का उत्पादन 2.8 MTPD है, जो कि 2041 तक बढ़ कर 5.5 MTPD तक पहुंचने की संभावना है। प्रस्तावित परियोजना को लगभग 5.5 MTPD को ठोस अपशिष्ट को संशोधित करने के लिये डिजाइन किया गया है। इकाई में निम्नलिखित घटक शामिल होंगे जैसे खाद की सुविधा (Composting) सैनीटरी लैण्डफिल (Sanitary Landfill) का प्रस्ताव रखा गया है।

2. प्रस्तावित एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजना सुविधा से निकटतम प्रस्तावित रेलवे स्टेशन सिवई कर्णप्रयाग जिसकी दूरी 3.20 किमी0 व निकटतम हवाई अड्डा गौचर 7.50 किमी0, हवाई अडड्ा जौलीग्रांट 213 किमी0, निकटतम बस्ती परियोजना स्थल से 0.35 किमी0 की दूरी पर आबादी वाला क्षेत्र ली ददुली गांव है।

3. प्रस्तावित एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजना हेतु TOR पत्रांक संख्या–208/SEAC दिनांक 23.08.2023 को जारी किया गया। प्रस्तावित भूमि ग्राम पंचायत, डिम्मर सीमा के अन्तर्गत है। जिसे नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग को 30 वर्ष की अवधि तक लीज पर दिया गया है, जिसकी संचालन अवधि 25 वर्ष है। प्रस्ताविक परियोजना तहसील कर्णप्रयाग ग्राम डिम्मर का कुल क्षेत्रफल 4,362 वर्गमीटर (0.4 है0) है। परियोजना की कुल लागत रू0 154.81 लाख है।

4. प्रस्ताव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की उक्त परियोजना पर्यावरणीय प्रभाग अधिसूचना 2006 एवं अनुगामी संशोधनों के अनुसार यह प्रस्तावित परियोजना गतिविधि सामन्य नगर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधा **(CMSWMF) 7(I)** श्रेणी (B) में वर्गीकृत की गई है।

5. प्रस्तावित परियोजना में निर्माण के दौरान कुल जल खपत 0.45 के0एल0डी0 एवं संचालन के दौरान 2.0 के0एल0डी0 होगी, जिसकी आपूर्ति उत्तराखण्ड जल संस्थान कर्णप्रयाग के द्वारा की जायेगी।

प्रस्तुतीकरण के बाद अध्यक्ष महोदय द्वारा परियोजना के सम्बन्ध में जन समुदाय से उनके सुझाव एवं आपत्तियां लिखित एवं मौखिक रूप से आमन्त्रित किये जाने हेतु कहा गया तथा जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत सुझावों एवं आपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है–

1. **श्री महिपाल सिंह नेगी, कपीरी विकास संघर्ष समिति, ग्रम डिम्मर** द्वारा कहा गया कि कपीरी क्षेत्र व डिम्मर क्षेत्र की अपनी धार्मिक महत्ता है। प्रस्तावित परियोजना मार्ग से बद्रीनाथ तेलगडु कलश यात्रा गुजरती है। उक्त क्षेत्र कर्णप्रयाग नगर पालिका परिषद से बाहर है। प्रस्तावित परियोजना की स्वीकृति से पूर्व ही प्रस्तावित स्थल के आसपास पेड़ों की कटाई क्यों की गयी। उक्त प्रस्तावित स्थल के नजदीक गदेरा व एक शिव मन्दिर है तथा उक्त स्थल लैंड स्लाईड क्षेत्र में है। उक्त प्रस्तावित परियोजना के विरूद्ध क्षेत्रवासियों द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में वाद दायर किया गया है। प्रस्तावित परियोजना का पूर्ण विरोध करते हुए लिखित प्रार्थना पत्र अध्यक्ष महोदय को सौंपा गया।

2. **श्री खिलदेव रावत, अध्यक्ष, कपीरी विकास संघर्ष समिति, ग्रम डिम्मर** के द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित परियेाजना का पूर्व से विरोध होने पर भी लोक सुनवाई का आयोजन किया जाना उचित नहीं है। प्रस्तावित स्थल के आसपास ग्रामवासियों के चारागाह का क्षेत्र है, जो कि सैनटरी लैंडफिल परियोजना से प्रभावित होंगे। ग्राम डिम्मर नगर पालिका क्षेत्र से बाहर होने के कारण उक्त परियोजना का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए।

3. **श्री संदीप, क्षेत्र पंचायत, डिम्मर** के द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित परियोजना स्थल ग्रामीण क्षेत्रवासियों के बच्चों के विद्यालय जाने एवं धार्मिक यात्रा मार्ग पर है, जिसमें आवागमन में परियोजना के संचालन से बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। अतः इनके द्वारा प्रस्तावित परियोजना निर्माण के विरोध में प्रार्थना पत्र पढ़ कर अध्यक्ष महोदय को सौंपा गया।

4. **श्री बृजेश पंत, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम डिम्मर** द्वारा प्रश्न किया गया कि प्रस्तावित परियोजना का निर्माण देवतोली में न कर के डिम्मर में क्यों किया जा रहा है? निर्माण से पूर्व पेड़ों की कटाई क्यों की गई? तथा स्थल चयन से पूर्व क्षेत्रवासियों को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया? श्री पंत द्वारा प्रस्तावित परियोजना का पुर्नजोर विरोध किया गया।

5. **श्री भास्करानन्द डिमरी, ग्राम सिमली** द्वारा प्रश्न किया गया कि लैंडफिल साइट का निर्माण नगर पालिका क्षेत्र की सीमा से बाहर किया जा सकता है या नहीं? साथ ही अवगत कराया गया कि प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र से बच्चों के विद्यालय आवागमन का मार्ग है। लैंडफिल साइट बनने से उक्त मार्ग पर जंगली जानवरों के हमलों का खतरा सदैव बना रहेगा। उक्त प्रस्तावित स्थल के नीचे पिण्डर नदी बहती है। परियोजना के संचालन से पिण्डर नदी के दूषित होने की संभावना बनी रहेगी। इनके द्वारा उक्त परियोजना का पूर्ण विरोध किया गया।

6. **श्री हर्षवर्धन डिमरी, ग्राम डिम्मर** द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित स्थल गदेरे के पास स्थित है, जिससे कूड़ा कचरा बरसात में पानी के बहाव के साथ पिण्डर नदी में जायेगा, जिससे नदी प्रदूषित होने की प्रबल संभावना है। इनके द्वारा भी परियोजना का विरोध किया गया।

7. **श्री देवेन्द्र दत्त कंडवाल, पूर्व सैनिक, कपीरी पट्टी** द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित परियोजना स्थल भू–धसाव क्षेत्र में है। प्रस्तावित स्थल कई धार्मिक यात्राओं के आवागमन के मार्ग पर स्थित है, जिससे क्षेत्र की धार्मिक भावनाऐं आहत होंगी। वर्षाकाल में प्रस्तावित स्थल से बहने वाला दूषित पानी सीधे पिण्डर नदी में जायेगा। परियोजना निर्माण से क्षेत्र में जंगली जानवरों का खतरा बढ़ जायेगा। इनके द्वारा इस परियोजना का विरोध किया गया।

8. **श्री रणधीर सिंह पुण्डीर, ग्राम कपीरी** द्वारा कहा गया कि कर्णप्रयाग नगर पालिका क्षेत्र का कूड़ा ग्राम डिम्मर में इकट्ठा किया जाना उचित नहीं होगा। ग्राम डिम्मर नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता है। इनके द्वारा भी इस परियोजना का विरोध किया गया।

9. **श्री राजेश नेगी, ग्राम डिम्मर** द्वारा कहा कि प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र से बहुत कम दूरी पर एक परिवार निवास करता है, जिस पर परियोजना के निर्माण/संचालन से उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इनके द्वारा प्रस्तावित परियोजना का विरोध किया गया।

10. **श्रीमती नीलम जुयाल, ग्राम डिम्मर** के द्वारा कहा गया कि इस परियोजना से ग्रामीणों को गुमराह किया जा रहा है। उक्त परियोजना के विरूद्ध आमरण अनशन किया जायेगा। श्रीमती जुयाल द्वारा प्रस्तावित परियोजना का विरोध किया गया।

11. **श्री सुनील खण्डूरी,** द्वारा कहा गया कि आम जनता को चयनित स्थल की सूचना पूर्व में क्यों नहीं दी गयी? इनके द्वारा प्रस्तावित परियोजना का पूर्ण विरोध किया गया।

12. **श्रीमती राखी डिमरी, ग्राम प्रधान, ग्राम डिम्मर** द्वारा उक्त परियोजना का पूर्ण विरोध किया गया तथा आंदोलन करने की चेतावनी दी गयी।

13. **श्री देवेन्द्र, ग्राम डिम्मर** द्वारा कहा गया कि उक्त क्षेत्र की अपनी धार्मिक व सांस्कृतिक महत्ता है। उक्त क्षेत्र से ही बद्रीनाथ यात्रा का शुभारंभ होता है। इनके द्वारा भी इस परियोजना का विरोध किया गया।

14. **श्रीमती अरूणा देवी, सरपंच वन पंचायत, डिम्मर,** इनके द्वारा कहा गया कि वनों की कटाई किसकी अनुमति से की गई तथा उक्त स्थल महिलाओं के चाराक्षेत्र के अन्तर्गत आता है, जिससे भविष्य में महिलाओं की सुरक्षा का प्रश्न सदैव बना रहेगा। इनके द्वारा प्रस्तावित परियोजना का पूर्ण विरोध किया गया।

तदोपरान्त लोक सुनवाई में उपस्थित क्षेत्रवासियों द्वारा अपनी आपत्ति/सुझाव लिखित रूप में अध्यक्ष महोदय को सौंपे गये। इसके पश्चात् परियोजना के पक्ष व विपक्ष में मतदान की कार्यवाही की घोषणा की गई, जिसमें लोगों द्वारा हाथ उठा कर परियोजना के विरोध में मतदान दर्ज किया गया। उपरोक्त जन समुदाय की आपत्तियों एवं सुझावों को कार्यवृत्त में सम्मिलित किया गया तथा जन सुनवाई की फोटाग्राफी एवं वीडियो रिर्काडिंग करायी गयी। अन्त में अध्यक्ष महोदय के द्वारा धन्यवाद के साथ लोक सुनवाई का समापन किया गया।

संलग्नक–

1. फोटो– 03 प्रतियां
2. पेन ड्राइव– 03 प्रतियां
3. उपस्थिति पंजिका– 03 प्रतियां
4. लिखित प्रत्यावेदनों की संख्या– 35

(डा0 आर0के0 चतुर्वेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी
यू0के0पी0सी0बी0, देहरादून

(विवेक प्रकाश)
अपर जिला अधिकारी
चमोली

UTTARAKHAND UKPCB LiFE Lifestyle for Environment
मुख्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
गौरा देवी पर्यावरण भवन, 46बी, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
E-mail : msukpcb@yahoo.com, दूरभाष: 0135-2607092

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये सूचना

मै. नगर पालिका परिषद, कर्णप्रयाग द्वारा ग्राम डिम्मर, जनपद चमोली में प्रस्तावित सेनेटरी लैंडफिल की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव के लिए राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा Terms of Reference निर्धारित किये गये हैं, जिनके अन्तर्गत प्रस्तावक के द्वारा ड्राफ्ट पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट एवं पर्यावरण प्रबन्धन योजना तैयार कर प्रस्तुत की गयी है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 (यथासंशोधित) के अनुसार उक्त प्रकार की परियोजनाओं के क्रियान्वयन से पूर्व लोक सुनवाई का प्राविधान है, जिस हेतु 30 दिनों का नोटिस समाचार पत्रों के माध्यम से जन साधारण के संज्ञानार्थ दिया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई हेतु पैनल की संरचना उक्त अधिसूचना के अनुरूप निम्नवत् है:-

1. जिलाधिकारी, जनपद चमोली या उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि जो जिला स्तरीय अधिकारी हो-लोक सुनवाई के अध्यक्ष।
2. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि।

प्रस्ताव से सम्बन्धित जमा समस्त अभिलेख (i) क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, 25-सुभाष रोड, देहरादून (ii) मुख्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गौरा देवी पर्यावरण भवन, 46-बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून (iii) क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ई-115, नेहरू कॉलोनी , देहरादून (iv) कार्यालय जिलाधिकारी, चमोली (v) कार्यालय, जिला पंचायत, चमोली (vi) जिला उद्योग केन्द्र, चमोली में उपलब्ध है, जिनका कोई भी इच्छुक संस्था/व्यक्ति अवलोकन कर सकता है। ड्राफ्ट पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट एवं सारांश की प्रति www.ueppcb.uk.gov.in पर भी उपलब्ध है।

मै. नगर पालिका परिषद, कर्णप्रयाग द्वारा ग्राम डिम्मर, जनपद चमोली में प्रस्तावित सेनेटरी लैंडफिल की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 05.8.2024 को प्रातः 11:00 बजे से परियोजना स्थल में तत्समय कोविड-19 के संदर्भ में विद्यमान SoP के अधीन सोशल डिस्टेसिग, आवश्यक रूप से मास्क का प्रयोग, थर्मल स्क्रीनिंग एवं हैंडवाश व सेनेटाइजर तथा अन्य सुरक्षात्मक उपायों के साथ निर्धारित की जाती है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सम्बन्धित परियोजना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने मौखिक, लिखित सुझाव, टीका टिप्पणियों एवं आपत्तियाँ इस कार्यालय अथवा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोड, ई-115, नेहरू कॉलोनी , देहरादून में इस सूचना से सम्बन्धित विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर प्रेषित् कर सकतें हैं अथवा लोक सुनवाई के समय भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

सदस्य सचिव
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

Times of India 4/7/2024

LiFE Lifestyle for Environment UKPCB

मुख्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

"गौरा देवी पर्यावरण भवन" 46बी, आइ0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
E-mail : msukpcb@yahoo.com, दूरभाष: 0135-2607092

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये सूचना

मै. नगर पालिका परिषद, कर्णप्रयाग द्वारा ग्राम डिम्मर, जनपद चमोली में प्रस्तावित सेनेटरी लैंडफिल की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव के लिए राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा Terms of Reference निर्धारित किये गये हैं, जिनके अन्तर्गत प्रस्तावक के द्वारा ड्राफ्ट पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट एवं पर्यावरण प्रबन्धन योजना तैयार कर प्रस्तुत की गयी है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 (यथासंशोधित) के अनुसार उक्त प्रकार की परियोजनाओं के क्रियान्वयन से पूर्व लोक सुनवाई का प्राविधान है, जिस हेतु 30 दिनों का नोटिस समाचार पत्रों के माध्यम से जन साधारण के संज्ञानार्थ दिया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई हेतु पैनल की संरचना उक्त अधिसूचना के अनुरूप निम्नवत् है:-

1. जिलाधिकारी, जनपद चमोली या उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि जो जिला स्तरीय अधिकारी हो-लोक सुनवाई के अध्यक्ष।
2. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि।

प्रस्ताव से सम्बन्धित जमा समस्त अभिलेख (i) क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, 25-सुभाष रोड, देहरादून (ii) मुख्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गौरा देवी पर्यावरण भवन, 46-बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून (iii) क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ई-115, नेहरू कॉलोनी , देहरादून (iv) कार्यालय जिलाधिकारी, चमोली (v) कार्यालय, जिला पंचायत, चमोली (vi) जिला उद्योग केन्द्र, चमोली में उपलब्ध है, जिनका कोई भी इच्छुक संस्था/व्यक्ति अवलोकन कर सकता है। ड्राफ्ट पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट एवं सारांश की प्रति www.ueppcb.uk.gov.in पर भी उपलब्ध है।

मै. नगर पालिका परिषद, कर्णप्रयाग द्वारा ग्राम डिम्मर, जनपद चमोली में प्रस्तावित सेनेटरी लैंडफिल की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 05.8.2024 को प्रातः 11:00 बजे से परियोजना स्थल में ततसमय कोविड-19 के संदर्भ में विद्यमान SoP के अधीन सोशल डिस्टेंसिग, आवश्यक रूप से मास्क का प्रयोग, थर्मल स्क्रीनिंग एवं हैंडवाश व सेनेटाइजर तथा अन्य सुरक्षात्मक उपायों के साथ निर्धारित की जाती है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सम्बन्धित परियोजना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने मौखिक, लिखित सुझाव, टीका टिप्पणियाँ एवं आपत्तियाँ इस कार्यालय अथवा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोड, ई-115, नेहरू कॉलोनी , देहरादून में इस सूचना से सम्बन्धित विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर प्रेषित् कर सकते हैं अथवा लोक सुनवाई के समय भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

Amar Ujala. 4/7/2024

सदस्य सचिव
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

Date. 5|8|2024
Page No.

नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग जिला चमोली द्वारा ग्राम डिम्मर गाँव, कर्णप्रयाग में प्रस्तावित स्थल पर Solid Waste Management and Disposal facility EC पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये जन लोक सुनवाई EIA Notification 2006 (As amended) आज दिनांक 5|8|2024 को लोक सुनवाई की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी के द्वारा की जा रही है। जिसमें सुनवाई की उपस्थिति का विवरण निम्न है।

क्रमांक	नाम, पदनाम	पता	हस्ताक्षर
1.	श्री विवेक प्रकाश	ADM, चमोली	[signature]
2.	डा० राजकुमार क्षेत्रीय अधिकारी	उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	[signature]
3.	श्री सन्तोष कुमार पाण्डेय (उपजिलाधिकारी, कर्णप्रयाग)	SDM, कर्णप्रयाग	[signature]
4.	सुरेन्द्र कुमार अधिशासी अधि०	नगर पालिका कर्णप्रयाग	[signature]
5.	सुधा डोभाल तहसीलदार कर्ण०	तहसीलदार कर्णप्रयाग	[signature]
6.	राखी डिमरी ग्राम प्रधान		Rakhi
7.	गोपी डिमरी	जलनिगम डिमरी समाज	[signature]
8.	उमाशंकर डिमरी	अमर उजाला कर्णप्रयाग	[signature]
9.	महिपाल सिंह नेगी महामंत्री	जिला संघर्ष समिति	[signature]
10	रिषभदेव सिंह रावत अध्यक्ष	का० वि० सं० सं०	[signature]
11	Brijesh Singh	क्षे० पं० सिमली	[signature]
12	महावीर कण्डवाल	स्वामी लोकीय	[signature]
13	[illegible] सिंह	न्यू टिमार	[signature]
14	संदीप डिमरी	पुलिस	[signature]
15	Randhir Singh Punch	Naulagair	[signature]
16	भगवान सिंह कण्डवाल	आदर्श पीद्दकोठी	[signature]
17	नरेन्द्र सिंह नेगी शास्त्री	फजोटा कनोठी	[signature]
18	पुष्कर सिंह रावत	को० सहायक	[signature]
19	Rakesh Singh Rawat	सिमली	

20	संजय सिंह रावत			[signature]
21	विजय सिंह	—		[signature]
22	राजेन्द्र	—		[signature]
23	दर्शन सिंह			[signature]
24	शोकचन्द डिमरी	—		[signature]
25	संजय डिमरी	—		[signature]
26	सुनील कुमार	—		Sud Ku
27	सुरेन्द्र रमवहस	—		[signature]
28	राकेश नेगी	—		[signature]
29	[signature]			[signature]
30	विनोद डिमरी			[signature]
31	भगवती प्रसाद डिमरी			[signature]
32	हर्षवर्धन मिश्री			[signature]
33	Rakesh singh			[signature]
34	लक्ष्मण सिंह			[signature]
35	स्वरांशु डिमरी			[signature]
36	सन्तोष डिमरी / पदमिनी देवी डिमरी			[signature]
37	मनोज सिंह			[signature]
38		—		[signature]
39	[illegible] डिमरी			[signature]
40	मोहन प्रसाद डिमरी			[signature]
41	[illegible] डिमरी			[signature]
42	यदुवीर सिंह रावत			[signature]
43	संजय सिंह कण्डवाल			[signature]
44	आरती [illegible]			[signature]
45	कान्हा खुराना [illegible]			[signature]
46	सुरेश देवी उपप्रधान [illegible]			[signature]
47	नन्दी देवी			Rekha / नन्दी
48	नरेश [illegible]			[signature]
49	मोहनलाल —			[signature]

46

(50)	गिरीश चन्द		
(51)	बलवन्त लाल		बलवन्त
(52)	रघुपति कटैल		रघुपति
(53)	यशवीर सिंह		
(54)	गोविन्द सिंह		
(55)	देवेन्द्र सिंह		
(56)	नीलम जुयाल		
(57)	कमल सिंह		
(58)	राजेन्द्र सिंह पुण्डीर		
(59)	अरविन्द		
(60)	रविन्द्र सिंह		Ravi
61	उर्मिला		उर्मिला
62	अम्बिका		
63	ज्योति डिमरी		Jyoti
64	गीता देवी		गीता
65	उषा देवी		उषा
66	शान्ति नेगी		
67	देवेन्द्र सिंह नेगी		
68	कुन्ना देवी		कुन्ना देवी
69	दीपा देवी		
70	सावित्री		सावित्री
71	भागीरथी		
72	सरस्वती डिमरी		सरस्वती
73	राजेश्वरी देवी		
74	विपिन पंवार (RILKIY)		
75	Shobna Tiwari		Tiwari
76	Rohit Mainkar		
77			
78			
79			